न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि0 अपील सं. 01/2017

मंजू पत्नि रविशंकर जाति रेगर निवासी डिग्गी बाजार अजमेर। ....अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला–अजमेर (राज0) ....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

आदेश दिनांक – 26.04.2017

अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर की जांच एवं आयुक्त नगर निगम, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 30.01.2017 के द्वारा कुल 352 अपील खारिज की गई जिसमें कम संख्या 332 पर अपीलान्ट के पति रवि शंकर की अपील आय अधिक का अंकन करते हुए खारिज की गई। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट की पत्नी द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय मूल रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील तथ्यो/दस्तावेज मुताबिक अपीलान्ट का भामाशाह कार्ड तथा राशन कार्ड ए.पी.एल बना हुआ है। अपीलान्ट का पति खुली मजदूरी करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। उनके परिवार में कुल 7 सदस्य है जिनका पालन पोषण बडी मुश्किल से होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील, अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः जॉच करवाकर 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/04/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

Scanned by CamScanner